


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या -05 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	अवधि	विद्यालय व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है (राउमावि)
1.	2	3	4	5
1.	अशोक कुमार बंसल, पोद्दार गांधीनगर, जयपुर	भौतिक	नवम्बर 2017 से जुलाई 2018	बा. मानसरोवर, जयपुर से व्याख्याता अर्थशास्त्र के रिक्त पद विरुद्ध

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 13-08-18

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/वेतन-व्यवस्था/2015

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सचूनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
3. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि
4. संबंधित प्राध्यापक
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत
5. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर